

activities are on the increase now. What is the law that he is going to use now to prevent the activities of the anti-social elements? (Interruptions)

MR. SPEAKER: Order, order; the Question relates to the period from 24th to 30th June, 1975. If you desire, you can put a separate question on this subject.

श्री छविराम अग्रवाल : 26 जून, 1975 के बाद आपातकाल के दौरान विभिन्न मान्यताप्राप्त राजनैतिक पार्टियों से सम्बन्धित बहुत से विद्यार्थियों को मीसा आदि कानूनों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था और उन के कैरेक्टर-रोल खराब कर दिये गये, जिस के कारण आज भी उन को प्रवेश नहीं मिल रहा है। सामने बैठे हुए लोगों के कुकृत्यों की वजह से आज देश भर में छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या मंत्री महोदय यह व्यवस्था करेंगे कि उन के कैरेक्टर-रोल में सुधार कर के उन्हें प्रवेश दिलाया जाये ?

MR. SPEAKER: I think, it is a repetition of the question. I do not think any supplementary is going to throw any additional light.

श्री चरण सिंह : माननीय सदस्य ने कहा है कि विद्यार्थियों के कैरेक्टर-रोल खराब कर दिए गए। मुझे नहीं मालूम है कि विद्यार्थियों के भी कैरेक्टर-रोल होत हैं।

श्री भानु कुमार शास्त्री : मंत्री महोदय ने बताया है कि सम्पादकों को गिरफ्तार करने से पहले सूचना और प्रसारण मंत्री से अनुमति लेना आवश्यक था। राजस्थान में तीन पत्रकारों को, जो मरे साथ जेल में थे, इसीलिए गिरफ्तार किया गया था कि वे तत्कालीन सरकार के विरुद्ध लिखते हैं। इस सम्बन्ध में मैं साप्ताहिक अर्गनाइजर के सम्पादक, श्री मलकानी, का किरू करना चाहता हूँ। क्या इन लोगों की गिरफ्तारी

करने की अनुमति सूचना और प्रसारण मंत्रालय से ली गई थी ?

MR. SPEAKER: Please don't think that the Minister will have information on all these questions. It looks as if the whole House is anxious to ask questions on this subject. At some stage, we will have to go to the more constructive questions, which are there, like planning questions and economic questions. These are very important. The moment, you say emergency, the whole House on this side is anxious to ask questions. You forget about planning, employment and economic issues. Let us not do that.

आन्तरिक खतरे के समर्थन में दस्तावेज तैयार करना

* 447. श्री भानु कुमार शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में आपात-स्थिति की घोषणा के लिए भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने आन्तरिक खतरे के समर्थन में मंत्रालय से कुछ दस्तावेज तैयार कराये और यदि हाँ, तो उन दस्तावेजों का ब्योरा क्या है और क्या वे दस्तावेज सभा पटल पर रखे जायेंगे ;

(ख) क्या तत्कालीन गृह सचिव पर 12 जून, 1975 से 25 जून, 1975 के के बीच उक्त दस्तावेज तयार करने के लिए दबाव डाला गया था ;

(ग) क्या तत्कालीन गृह सचिव का केवलमात्र इसी कार्य (आन्तरिक खतरे के दस्तावेज) को तैयार कराने के लिए स्थानान्तरण कर दिया गया था; और

(घ) क्या भारत सरकार लोकतंत्र के भविष्य को समाप्त करने वाले ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को, जिन्होंने

श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रभाव में आकर देश में आन्तरिक खतरे के दस्तावेज तैयार किये, जनता के कठघरे में खड़ा करना और दण्ड देना चाहती है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग)। इस सम्बन्ध में सरकारी अभिलेखों में संगत सूचना निहित नहीं हैं।

(घ) वास्तव में प्रश्न नहीं उठता। इस प्रश्न के कई पहलू शाह जांच आयोग के अधिकार क्षेत्र में आ जायेंगे जिनके जांच परिणामों की प्रतीक्षा की जानी चाहिए।

श्री भानु कुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस का शाह कमीशन से कोई सम्बन्ध नहीं है। 12 जून से 25 जून 1975 के बीच में भारत सरकार ने एमजॉर्सी लगाने के कुछ दस्तावेज बनाए थे। बिना उस दस्तावेज के एमजॉर्सी नहीं लग सकती। मैंने सवाल पूछा है कि क्या वे दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जायेंगे? गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि वह दस्तावेज प्राप्त नहीं हैं तो ऐसा मुख्य दस्तावेज जिस के कारण देश के 60 करोड़ लोगों के भाग्य के साथ खिलवाड़ किया गया, कैसे उपलब्ध नहीं है ?

दूसरा हिस्सा मेरे सवाल का यह है कि क्या उस समय के जो होम सेक्रेटरी थे उन्होंने वह डाक्यूमेंट बनाने से मना कर दिया था जिस के कारण उनका स्थानान्तरण कर दिया गया और जो हमारे राजस्थान के उस समय के चीफ सेक्रेटरी थे उन को ला कर यहां होम सेक्रेटरी बना दिया गया जब कि उनके ऊपर राजस्थान की विधान सभा में कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे? यह चीज शाह कमीशन के अन्दर नहीं आती। तो क्या गृह मंत्री जी ने होम सेक्रेटरी से पूछा कि क्या उनका ट्रांसफर जबर्दस्ती हुआ था ?

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, उन के प्रश्न में सारा जोर इस बात पर था कि कोई तैयारी हुई या नहीं और कोई डाक्यूमेंट उसके हैं या नहीं, मैंने सीधा सा जवाब उस का यह दे दिया कि कोई डाक्यूमेंट नहीं है।

अब रहा सवाल यह कि आह कमीशन के सामने कौन कौन सी बातें हैं जिनके लिए मैंने यह कहा था कि यह उस के सामने आ जायगा, तो आप यह देखें उस के अन्दर यह है कि क्या तत्कालीन गृह सचिव पर 12 जून 1975 से 25 जून, 1975 के बीच उक्त दस्तावेज तैयार करने के लिए दबाव डाला गया था, तो यह 12 जून से ही शाह कमीशन को अधिकार है एन्क्वायरी करने का एमजॉर्सी के सिलसिले में जो कुछ हुआ, इसलिए मैंने यह जवाब दिया है।

अब आप जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी जो राजस्थान के थे वे बाद में यहां होम सेक्रेटरी बनाए गए, यह बात ठीक है बल्कि उन्होंने चार्ज नहीं दिया चीफ सेक्रेटरी का और यहां होम सेक्रेटरी का चार्ज उन को 23 जून, 1975 को दे दिया गया।

श्री भानु कुमार शास्त्री : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या बिना किसी डाक्यूमेंट के तैयार किए एमजॉर्सी लग गई और क्या माननीय मंत्री जी यह बताना चाहेंगे कि जिन गृह सचिव को बदला गया उन से आप ने पूछा क्या ?

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पूछने की कोई बात नहीं है, इस के रेकार्ड्स हैं वह साबित कर रहे हैं कि 22 जून को उन को यहां बुलाया गया। 22 जून को इतवार था और 23 जून को उन से कहा कि तुम होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीएट को संभालो। जो उस वक्त सेक्रेटरी थे जो आज कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन को वहां से हटा दिया गया।

रहा यह कि क्या दस्तावेज की तैयारी के बिना यह एमर्जेंसी आ गई, तो माननीय मित्र भूल रहे हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ में अधिकार हों और जिस के साथी उस को देश की सजा भी देने को तैयार हों उस को सारी पावस होती है, उस को तैयारी करने की जरूरत क्या थी ?

SHRI YADVENDRA DUTT: From the reply of the hon. Minister it seems that all the relevant documents are not available in office or the documents have probably been removed. Will the hon. Minister be pleased to let me know what action does the Government propose to take against the persons who have removed or destroyed the documents?

SHRI CHARAN SINGH: I never said that the records concerned are not available. I simply said that no records are available—concerned or unconcerned.

It is a rumour, because no evidence is available, that hundreds of files were burnt in the third week of March.

SHRI SAMAR GUHA: I hope that the attention of the hon. Home Minister has been drawn to a White Paper that was published by the erstwhile Congress Government in defence of promulgation of emergency as well as the arrest of different leaders. This defence or justification is ridiculous. I cite my own case. In my case two reasons were given.

1. I attended a meeting on the morning of 25th June at the residence of the present Home Minister—Shri Charan Singh which was attended by Shri Jaya Prakash Narayan, Shri Morarji Desai and other leaders. I attended the meeting. Ten or twelve persons were there.

2. I, with Shri Vajpayee and three other Members went to visit Anand

Margi who was in jail. We went with the permission of the Government. We went with the knowledge of the Chief Secretary and Governor of Bihar. The police officer accompanied us.

In view of such ridiculous document and reasonings and justification given by the Government, will the Government consider that it is desirable to review that White Paper and issue a counter White Paper refuting all the allegations that have been made against even the Prime Minister and other hon. Ministers including yourself.

SHRI CHARAN SINGH: My hon. friend and other hon. members have been putting questions on the assumption that the then authority should have acted rightly according to law, according to principle, according to democratic norms. That is why there is anger and there is a feeling of indignation. It is because of this indignation and because of White Paper that we are all here. What more action do they want?

MR. SPEAKER: I know each member has some important question. Do they want that this question only should be taken during the Question Hour? There are important questions on Planning. The Home Minister has been dealing with them. The Commission has been dealing with them. The Home Minister has answered appropriately. I am convinced that no fresh light will be thrown on this in this House. We have already taken up half an hour only for the questions on Emergency. Let us now take up Planning questions: these are also very important.

Western Ghats Development Plan

*449. **SHRI A. R. BADRI NARAYAN:** Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) the criteria followed in the selection of area for implementation of the Western Ghats development plan;